[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

का.आ. ..... (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य और आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से उक्त अधिनियम के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के मामलों के शीघ्र विचारण का प्रावधान करने के प्रयोजनों के लिए नीचे सारणी में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात्-

सारणी

क्र.सं. (1)	विद्यमान न्यायालय (2)	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता (3)
1.	आर्थिक अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय-सह-VIII अपर मेट्रोपोलिटन सेशन न्यायाधीश न्यायालय-सह-XXII अपर मुख्य न्यायाधीश, नगर सिविल न्यायालय, हैदराबाद	तेलंगाना राज्य
2.	IV अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय-सह-II अपर मेट्रोपोलिटन सेशन न्यायाधीश, विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश राज्य

2. स्तंभ संख्या (2) में उल्लिखित उपर्युक्त न्यायालय स्तंभ संख्या (3) में उल्लिखित अधिकारिता के संबंध में बाबत विशेष न्यायालयों के रूप में अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

[फा.सं.01/12/2009-सीएल-I (खंड-IV)]

अमरदीप सिंह भाटिया

संयुक्त सचिव